संख्या 403 /उन्तीस(2)/17-2(43पे0)/2012

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 21 अप्रैल, 2017

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में आयोजनेत्तर मद में उत्तराखण्ड पेयजल निगम को पेंशन, ग्रेज्युटी एवं सेवानिवृत्तिक देनदारियों के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 667/वि0अनु0/बी0एस0-1/P-1-50 दिनांक 11.4.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड पेयजल निगम के सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन अवशेष, ग्रेच्युटी एवं अन्य सेवानिवृत्तिक देनदारियों के भुगतान हेतु रु0 833.33 लाख (रु0 आठ करोड़ तेंतीस लाख तेंतीस हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधो के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i) स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम के हस्ताक्षर युक्त तथा जिलाधिकारी देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरित बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वास्तविकता के आधार पर उसी उद्देश्य हेतु व्यय की जायेगी, जिस हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

(iii) मा0 मुख्यमंत्री जी की बैठक दिनांक 29.08.2012 में लिये गये निर्णय एवं निगम के साथ हुए एम0ओ0यू0 की शर्तानुसार समयान्तर्गत कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

2. उक्त धनराशि का आहरण चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-13 के आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2215-जलपूर्ति तथा सफाई -01 -जलपूर्ति-आयोजनेत्तर-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता-03-जल निगम के कार्मिकों को सेवानिवृत्तिक लाभ का भुगतान -00-20-सहायक अनुदान / अंशदान /राजसहायता के नामे" डाला जायेगा।

......2.....

3. धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या H 1704130929 दिनांक 21 अप्रैल, 2017 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या–312/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31.03.2017 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0– 21/XXVII(2)/2017 दिनांक 21 अप्रैल,2017में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

पृ0सं0 403 (1)/उन्तीस(2)/17–2(43पे0)/2012 तददिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
4. बजट निदेशालय, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Mahaveer Singh

(महावीर सिंह)
उप सचिव।